संख्या-92/2022/1626/26-3-2022

प्रेषक

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक: 08 अगस्त 2022

विषय:- केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष राज्य स्तर पर उपलब्ध केन्द्रांश की धनराषि को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त करते हुये एस0एन0ए0 खाते में जमा किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-112/110/ज0जा0वि0/वी0के0वाई/2022-23, दिनांक-15.07.2022 एवं पत्र संख्या-76/ज0जा0वि0/कोचिंग/41/2022-23, दिनांक-13.06.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृत धनराषि के सापेक्ष राज्य स्तर पर उपलब्ध केन्द्रांश की धनराषि को चालू वित्तीय वर्श 2022-23 में अवमुक्त करते हुये एस0एन0ए0 खाते में जमा किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में केन्द्र पुरोनिधानित के अन्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृत धनराषि के सापेक्ष राज्य स्तर पर उपलब्ध केन्द्रांश की निम्नलिखित धनराषि को योजना से सम्बन्धित एस0एन0ए0 खातें में जमा किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती हैः-

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	योजना का नाम	लेखाशीर्षक	प्राविधानित धनराशि	राज्य स्तर पर अवशेष राज्यांश
1	2	3	4	5
2	जनजाति के लोगों को मार्केटिंग हेतु प्रोत्साहित किये जाने हेतु वनबन्धु कल्याण योजना के सम्बन्ध में।	2225-02-796-0110-वनबन्धु कल्याण योजना (100 प्रतिशत केन्द्रांश)	35.50	25.00
6	वित्तीय वर्ष 2021-22 में संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण के	2225-02-796-01-0104-संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अन्तर्गत जनजातियों	52.30	30.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	लिये विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु बजट प्राविधान के सापेक्ष अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	के कल्याण के लिये विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु अनुदान-42-अन्य व्यय		

3- उक्त धनराशि के व्यय की अनुमति पृथक से शासन प्राप्त की जायेगी।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक- '' 2225-02-796-01-0104-संविधान के अनुच्छे' द-275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण के लिये विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु अनुदान-42-अन्य व्यय एवं लेखाशीर्षक-2225-02-796-0110-वनबन्धु कल्याण योजना (100 प्रतिशत केन्द्रांश)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-4-127-X-2022-23 दिनांक-21 जुलाई, 2022 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

पृसं0- 92 /2022/1626 (1)/26-3-2022 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in